प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 10.07.2025

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा प्रशिक्षणरत आरक्षियों से संवाद कार्यक्रम के सम्बन्ध में

दिनांक 09.07.2025 को पुलिस आयुक्त द्वारा नंदग्राम स्थित क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के ऑडोटोरियम में गाजियाबाद में प्रशिक्षणरत आरक्षियों से वार्ता की गयी। इस वार्तालाप कार्यक्रम में कमिश्नरेट गाजियाबाद की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदया-मुख्यालय , पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिण्डन/ लाइन्स, पुलिस उपायुक्त नगर, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण, अपर पुलिस उपायुक्त लाइन्स , अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल , एवं समस्त सहायक पुलिस आयुक्त उपस्थित रहे।

उक्त कार्यक्रम के दौरान कमिश्नरेट गाजियाबाद की पुलिसिंग प्रणाली के सम्बन्ध मे एक संक्षिप्त फिल्म का भी प्रसारण किया गया। अपर पुलिस उपायुक्त लाइन्स के द्वारा प्रशिक्षणरत आरक्षियों को प्रशिक्षण सम्बन्धित दिशा-निर्देशों को पीपीटी के माध्यम से अवगत कराया गया।

उक्त संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण का मूल्य समझाना, सेवा भावना को प्रोत्साहित करना, वास्तविक परिस्थितियों के लिए मानसिक रूप से तैयार करना एवं अनुशासन और नैतिकता पर जोर देना था। यह वार्ता न सिर्फ प्रेरणादायक थी बल्कि उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति उन्हें और सजग भी करती है।

इसके उपरान्त पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा नवचयनित प्रशिक्षणरत आरक्षियों को प्रेरणादायक संदेश से सम्बोधन किया गया। पुलिस आयुक्त महोदय ने प्रशिक्षण को अनुशासन, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों पर आधारित बताया ,महोदय के प्रेरणादायी वचनों का उद्देश्य है कि प्रशिक्षु आरक्षी न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखें बल्कि समाज के प्रति संवेदनशील और सेवा भाव से युक्त रहकर सजग प्रहरी बनकर उभरें।

यह संवाद कार्यक्रम न सिर्फ उनके मनोबल को बढ़ाता है बल्कि उन्हें प्रेरणा भी देता है कि वे किस प्रकार से सेवा में उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं।

साइबर सेल,थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 97000/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

दिनांक 20.06.2025 को साइबर सेल थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा शिकायतकर्ता विक्की शर्मा निवासी ग्राम फर्रूखनगर थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ हुए ऑनलाइन यू0पी0आई0 पेमैन्ट के माध्यम से ठगी के सम्बन्ध में NCRP पोर्टल पर शिकायत प्राप्त हुई। उक्त सम्बन्ध में साइबर सेल थाना टीला मोड़ द्वारा कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता से ऑनलाइन पेमैन्ट के जरिए ठगी गई कुल धनराशि 97000/- रूपये को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से विक्की शर्मा निवासी ग्राम फर्रूखनगर थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ कुल 97000/- रूपये की ऑनलाइन वित्तीय ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी । जिस पर साइबर सेल थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए वादी के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को बैक को पत्राचार कर होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 09.07.2025 को वादी को कुल धनराशि 97000/- रुपये वापस कराई गयी ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना टीला मोड़ पुलिस टीम ।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 10.07.को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 2025 गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त पकंज पुत्रबृजपाल निवासी बी-55 विद्याभवन फ्लोरा एन्क्लेव गंगापुरम थाना मसूरी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम तरौली छाता जनपद मथुरा उम्र करीब वर्ष को मैक्सवेल कट से गिरफ्तार 27 किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपने साथी अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाकर लूट करने जैसी घटना व अपराध कारित किये हैं जिसमें मैं अपने साथियों के साथ पूर्व में जेल भी जा चुका हूँ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पकंज पुत्र बृजपाल निवासी बी-55 विद्याभवन फ्लोरा एन्क्लेव गंगापुरम थाना मसूरी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम तरौली छाता मथुरा उम्र करीब 27 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

गिरफ्तार अभियुक्त पंकज के विरूद्ध थाना मसूरी पर लूट की योजना बनाना, लूट, चोरी, आयुध अधिनियम व गैंगस्टर एक्ट के कुल 04 अभियोग पंजीकृत हैं । अन्य आपराधिक इतिहास की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम ।

श्रावण मास/कांवड़ यात्रा-2025 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित परमजीत हॉल में कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारियों की गोष्ठी का आयोजन किया गया।

दिनांक 09.07.2025 को श्रावण मास/कांवड़ यात्रा-2025 के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित परमजीत हॉल में गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं कानून व्यवस्था कमिश्नरेट गाजियाबाद, पुलिस उपायुक्त नगर/ट्रांस हिण्डन/ग्रामीण, समस्त जोनल सहायक पुलिस आयुक्त के अतिरिक्त

सहायक पुलिस आयुक्त यातायात/अभिसूचना, समस्त थाना प्रभारी एवं समस्त यातायात निरीक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

कांवड़ यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्पूर्ण कांवड़ मार्ग को 124 बीटों में विभाजित किया गया, जिन्हें कांवड़ बीट का नाम दिया गया है। प्रत्येक कांवड़ बीट की जिम्मेदारी कांवड़ बीट पुलिस अधिकारी को दी गयी है। कांवड़ मार्ग में कुल 1657 सीसीटीवी कैमरे, 71 बैरियर, 33 सार्वजनिक घोषणा प्रणाली, 1560 पुलिस स्वयं सेवक लगाये गये हैं। पीआरवी एवं चीता मोबाइलों को भी कांवड़ मार्ग में तथा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर लगाया गया है। इसके अतिरिक्त 12 फायर सर्विस की गाड़ियों को उक्त कांवड़ रूट में लगाया गया है।

कांवड़ यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु 04 स्थाई कन्ट्रोल रूम, 01 मुख्य कन्ट्रोल रुम , 02 सब कन्ट्रोल रुम एवं 08 स्टैटिक कन्ट्रोल रुम की स्थापना की गयी है। कांवड़ रूट पर लगने वाले शिविरों में आग से बचाव हेतु अग्निरोधक यंत्र, रेत की बाल्टी एवं पानी का ड्रम रखवाने हेतु शिविर आयोजकों को निर्देशित किये जाने हेतु बताया गया। कांवड़ शिविरों में विद्युत सुरक्षा उपायों के किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। कांवड़ की ऊंचाई 10 फिट एवं चैड़ाई 12 फिट से अधिक न होने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये।

कावड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाये रखते हुए डायवर्जन हेतु निर्धारित मार्ग पर प्रतिबन्धित वाहनों के आवागमन पर पूर्णतया रोक लगाते हुए यात्रा को सुरक्षित एवं सफल बनाने हेतु सम्बन्धित अधिकारीगणों एवं यातायात पुलिस कर्मीयों की जिम्मेदारी तय की गई है।

मेरठ बॉर्डर पर कांवड़ियों एवं वाहनों की संख्या गिनने हेतु अलग से पुलिसबल लगाया जाएगा। जो संख्या की सूचना ग्रुप में प्रेषित कर आगे के पुलिस बल को अवगत करायेगें, ताकि उक्तानुसार आगे की समुचित व्यवस्था की जाए। कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्रों के अराजक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। कांवड़ यात्रा में 10587 शांति समिति के सदस्यों को सहयोग हेतु लगाया गया है, जिनके लिए कार्ड जारी किये गये हैं।

थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा विभिन्न बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि/बीमा लोकपाल बनकर, कॉल कर बीमा पॉलिसी में अधिक मुनाफा कमाने/Matured Policy के पैसों से बिटकाइन खरीदने, आनलाइन टास्क फ्रॉड एवं आनलाइन होटल बुकिंग के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के 05 सदस्य गिरफ्तार। कब्जे से 05 मोबाइल फोन, 01 लैण्डलाईन डिवाइस, 02 चेक, 01 एटीएम कार्ड , महिन्द्रा XUV 500 कार, 1 लाख 83 हजार रुपये नगद बरामद, कुल 44 लाख रुपये के साइबर फ्रॉड की घटनाओं का अनावरण ।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा फोन पर विभिन्न बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि/बीमा लोकपाल के रूप में कॉल कर बीमा पॉलिसी में अधिक मुनाफा कमाने/Matured Policy के पैसों से बिटकाइन खरीदने, आनलाइन टास्क कम्पलीट कर पैसे कमाने एवं आनलाइन होटल बुकिंग के लिये अपने खातों में पैसे ट्रांसफर कराकर साइबर फ्रॉड करने

वाले गैंग के सदस्य अभियुक्त रवि प्रताप, विकास कुमार, नवीन प्रताप, अनुज, गुंजन को साइबर अपराध में प्रयुक्त 05 मोबाइल फोन, 01 लैण्डलाईन डिवाइस, 02 चेक, 01 एटीएम कार्ड, 1 लाख 83 हजार रुपये नगद, महिन्द्रा XUV 500 कार के साथ थाना क्षेत्र विजय नगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अभियुक्तों द्वारा की गई 44 लाख रुपये साइबर ठगी की घटनाओं का अनावरण करते हुए 3 राज्यों की 3 घटनाओं का अनावरण किया गया है।

दिनांक 24.10.2024 से 08.06.2025 तक श्री महीपाल बिष्ट के साथ मोबाइल फोन के माध्यम से कॉल कर Matured Insurance Policy के पैसों से बिटकाइन खरीदने के नाम पर विभिन्न खातों में कुल करीब 36 लाख रुपये ट्रांसफर कराकर साइबर फ्राड की घटना को अंजाम दिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में श्री महीपाल बिष्ट द्वारा दिनांक 03.07.2025 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया था।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त रवि प्रताप पुत्र अनिल कुमार ने पूछने पर बताया कि वह वर्ष 2020 में नोएडा में प्राइम फोलियो में नौकरी करता था। इस कंपनी में विभिन्न बीमा पॉलिसी कंपनी रिलांयस, भारती हेक्सा, सिगना टीटीके, एचडीएफसी तथा बजाज की जीवन बीमा पॉलिसी तथा हेल्थ बीमा पॉलिसी का अधिकृत ग्राहक सेवा केन्द्र था, जिसमें इन बीमा पॉलिसी कंपनियों के जीवन बीमा तथा हेल्थ बीमा पॉलिसी के धारकों को पॉलिसी से सम्बन्धित जानकारी दी जाती थी। इस कंपनी में उसके साथ विकास कुमार व संकेत त्यागी भी काम करता था। कंपनी में काम करने के दौरान इनकी आपस में जान-पहचान हो गयी थी। संकेत त्यागी ने प्राइम फोलियो कंपनी से इन बीमा पॉलिसी कंपनियो के पॉलिसीधारकों की पर्सनल डिटेल प्राप्त कर ली थी। इसके बाद रवि प्रताप, विकास कुमार तथा संकेत त्यागी ने प्राइम फोलियो कंपनी से नौकरी छोड़ दी और इसके बाद इन लोगों ने मिलकर विभिन्न बीमा पॉलिसी कंपनियो का बीमा लोकपाल अधिकारी बनकर इन बीमा पॉलिसियों के पॉलिसीधारकों को अलग-अलग मोबाइल नम्बरों से कॉलिंग कर बीमा पॉलिसियों में अधिक लाभ का झूठा लालच देकर पॉलिसीधारकों से विभिन्न खातों में पैसे ट्रांसफर कराये। ये लोग पॉलिसीधारकों से पैसे ट्रांसफर कराने के लिए अपने साथी अनुज कुमार, सोनू कुमार, मनोज कुमार, अमन कुमार तथा गुंजन के खातों का प्रयोग करते थे और इन पैसों को एटीएम के माध्मय से निकालकर आपस में बांट लिया करते थे।

इन लोगों ने पॉलिसीधारकों को फोन करने के लिए फर्जी आईडी के प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड नोएडा सेक्टर 63 से चलते फिरते केनोपी वालों से खरीदे थे। रवि प्रताप ने अपने साथी विकास कुमार, नवीन प्रताप के साथ मिलकर गाजियाबाद निवासी महीपाल बिष्ट के साथ Matured Policy के पैसों से बिटकाइन खरीदने के नाम पर फ्रॉड किया था, महीपाल बिष्ट ने फ्रॉड होने के बाद इन लोगों को फोन करके बताया कि उसने इन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया है। इस बात का पता चलते ही इन लोगों ने कॉलिंग वाले सिम व मोबाइल तथा एटीएम को तोड़कर नाले में फेक दिये थे। बरामद गाड़ी जो रवि प्रताप के नाम पर रजिस्टर्ड है, की किस्त भी रवि प्रताप साइबर फ्राड के पैसों से ही चुका रहा है और इस गाड़ी का प्रयोग पॉलिसीधारकों को कॉलिग करने व एटीएम से पैसे निकालने के लिए कर रहे है।

इन लोगों से बरामद मोबाइल फोन, बैंक खाते तथा मोबाइल फोन में उपलब्ध दस्तावजों/चैट/विभिन्न बीमा कम्पनियों की पालिसियों के डाटा आदि से 3 राज्यों की कुल 3 घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद निवासी महीपाल बिष्ट के साथ Matured Policy के पैसों से बिटकाइन खरीदने के नाम पर करीब 36 लाख रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लेने की ठगी के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत हैं। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद सिटी निवासी नरसिम्हा के साथ घर बैठे आनलाइन टास्क कम्पलीट कर मुनाफा कमाने के नाम पर करीब 8 लाख रुपये के साइबर फ्रॉड एवं तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी निवासी वी सर्वनन के साथ ऑनलाइन होटल बुकिंग के नाम पर अपने खातों में करीब 35 हजार रुपये ट्रांसफर करा लेने के साइबर फ्रॉड की घटना NCRP पोर्टल पर पंजीकृत है।

अभियुक्तों के मोबाइल फोन से बरामद दस्तावजों/चैट/कम्पनियों की पालिसियों के डाटा के विश्लेषण से तेलंगाना राज्य के हैदराबाद सिटी एवं तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी के व्यक्तियों के साथ साइबर धोखाधड़ी की घटना का पता चला है इनसे सम्पर्क कर घटना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तों ने अब तक करीब 44 लाख रुपये के साइबर फ्रॉड की घटना कारित करना स्वीकार किया है।

अभियुक्त रवि प्रताप व अभियुक्त विकास कुमार पूर्व में साइबर धोखाधड़ी की घटना में थाना साइबर क्राइम द्वारिका, दिल्ली से जेल चा जुके हैं एवं अभियुक्त अनुज थाना जनपद जालौन से चोरी की 2 घटनाओं में जेल जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण-

1. रवि प्रताप पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम बनामई हैवरा थाना बैधपुरा जनपद इटावा हाल पता प्लाट नं 519 0 ,सेकण्ड फ्लोर फ्लैट नं0 52 साई एन्कलेव नीतिखण्ड 01इन्दिरापुरम थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद उम्र 38 करीब वर्ष, शिक्षा – 12वीं।
2. विकास कुमार पुत्र राजजीत सिंह निवासी ग्रानगलिया जट थाना रजबपुर जनपद अमरोहा हाल पता प्लाट नं0 0 फ्लैट नं0 52 सेकण्ड फ्लोर साई एन्कलेव 519, नीतिखण्ड ,01इन्दिरापुरम थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद उम्रवर्ष 39 , शिक्षा – बी.काम.।
3. नवीन प्रताप सिंह पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम बनामई हैवरा थाना बैधपुरा जनपद इटावा हाल पता प्लाट नं 0 ,सेकण्ड फ्लोर फ्लैट नं0 52 साई एन्कलेव नीतिखण्ड 01 519इन्दिरापुरम थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 30वर्ष, शिक्षा – बी.ए.।
4. अनुज पुत्र अरविन्द कुमार निवासी औरेखी माधोगढ़ थाना कोतवाली जालौन जिला जालौन उम्र 23 वर्ष, शिक्षा – 6वीं।
5. गुंजन पुत्र चितरंजन प्रसाद सिंह निवासी ग्वाली बाईपासपचौरा साई काली रोड थाना सिविल लाईन जनपद , इटावाउम्र 38 वर्ष, शिक्षा – 12वीं।

गिरफ्तारी स्थान - थाना क्षेत्र विजय नगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण - 05 मोबाइल फोन, 01 लैण्डलाईन डिवाइस, 02 अदद चेक, 01 एटीएम कार्ड, महिन्द्रा XUV 500 कार, 1 लाख 83 हजार रुपये नगद बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद।

आज दिनांक 10.07.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त अभिजीत उर्फ बादल पुत्र जितेन्द्र कुमार निवासी ग्राम नूरपुर थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को चौकी क्षेत्र पतला से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना निवाडी पर आयुध अधिनियम की धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपने मित्र के पास ग्राम पतला आया हुआ था और मैं यह अवैध तमंचा अपने साथ लेकर आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अभिजीत उर्फ बादल पुत्र जितेन्द्र कुमार निवासी ग्राम नूरपुर थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना निवाडी पर आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम---

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 रक्तरंजित आलाकत्ल चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 09.07.2025 को थाना टीलामोड़ पर डायल-112 की पीआरवी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की चाकू मार कर हत्या कर दी है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस मौके पर पहुची तो ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति आमिर पुत्र चमन जाती मनिहार निवासी गली न0 07 जाकिर कॉलोनी थाना लिसाडी गेट मेरठ हाल पता आशिया का मकान गरिमा गार्डन थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष द्वारा अपनी पत्नी नाजमा की अवैध सम्बन्धों के चलते चाकू मार कर हत्या कर दी गयी है। जिसके क्रम में आज दिनांक 10.07.2025 को थाना टीलामोड़ पर वादिया (मृतका की बहन) की लिखित तहरीर के आधार पर धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना के क्रम में आज दिनांक 10.07.2025 को ही थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर अपनी पत्नी की चाकू से हत्या करने वाले अभियुक्त आमिर पुत्र चमन जाती मनिहार निवासी गली न0 07 जाकिर कालोनी थाना लिसाडी गेट मेरठ हाल पता आशिया का मकान गरिमा गार्डन थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

जिसके कब्जे रक्त रंजित आलाकत्ल चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त आमिर के विरुद्ध धारा 103(1) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त आमीर से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त आमिर को अपनी पत्नी नाजमा के चरित्र पर शक था। इसी बात को लेकर दोनों में काफी झगड़ा हुआ। अभियुक्त आमिर ने गुस्से में आकर चाकू (छुरा) मारकर अपनी पत्नी नाजमा की हत्या कर दी। अभियुक्त ने आलाकत्ल चाकू को वाशिंग मशीन में छिपा दिया था। जिसे अभियुक्त की निशानदेही से बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आमिर पुत्र चमन जाती मनिहार निवासी गली न0 07 जाकिर कालोनी थाना लिसाडी गेट मेरठ हाल पता आशिया का मकान गरिमा गार्डन थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

- 01 रक्तरंजित आलाकत्ल चाकू बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त आमिर उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर हत्या के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल चोरी की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 06.07.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी आसिफ पुत्र समीम निवासी एच ब्लॉक 455 शहीद नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी मोटर साइकिल को चोरी कर लिया गया है। जिसके क्रम में तत्काल थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 10.07.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर मोटर साइकिल चोरी की घटना कारित करने वाला शातिर 01 अभियुक्त जमशेद मिर्जा पुत्र दिलशाद मिर्जा निवासी गली नम्बर 02 मकान नम्बर बी 137 पप्पू कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को शालीमार गार्डन एक्स-01 हुडई कट थाना शालीमार गार्डन क्षेत्रान्तर्गत से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त जमशेद मिर्जा के विरुद्ध धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त जमशेद मिर्जा से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उपरोक्त व उसके साथी अरबाज उर्फ जानू पुत्र ओसाब निवासी गली नम्बर 3 पप्पू कॉलोनी शालीमार गार्डन गाजियाबाद ने मिलकर 3-4 दिन पहले शहीद नगर वाले नाले के सर्विस रोड शालीमार गार्डन एक्स 1 से चोरी कि थी। अभियुक्त जमशेद मिर्जा उपरोक्त उक्त मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

जमशेद मिर्जा पुत्र दिलशाद मिर्जा निवासी गली नम्बर 02 मकान नम्बर बी 137 पप्पू कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त जमशेद मिर्जा के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस व ट्रैफिक पुलिस टीम द्वारा ट्रैफिक पुलिस के पुलिसकर्मी पर जान से मारने की नियत से टैम्पो (मालवाहक टैम्पो) चढाना व पुलिसकर्मी को घसीटने हुए ले जाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन (मालवाहक टैम्पो) बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 09.07.2025 को थाना लिंकरोड पर आरक्षी 1570 सीतराम शर्मा पुत्र श्री योगेश शर्मा निवासी ग्राम महगौरा थाना पिसावा जनपद अलीगढ (उ0प्र0), हाल तैनाती ट्रैफिक पुलिस गाजियाबाद की लिखित तहरीर बावत मालवाहक टैम्पो नं0 UP 16 KT 4902 द्वारा चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहन जिसकी (रजि नं0 प्लेट छिपी हुई) को रुकने का इशारा किया। जिसके दौरान टैम्पो चालक ने टैम्पो ना रोककर जान से मारने की नीयत से टैम्पो को तीव्र गति से पुलिसकर्मी की तरफ भगा दिया, जिसमें ट्रैफिक पुलिसकर्मी बोनट पर आ गया और उसको करीब 01 किमी दूर तक टैम्पो के बोनेट पर घसीटने के सम्बन्ध में थाना लिंकरोड पर धारा 121(1),109(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना क्रम के सम्बन्ध में थाना लिंकरोड पुलिस व ट्रैफिक पुलिस टीम द्वारा मामले को गम्भीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज व चेकिंग के दौरान आज दिनांक 10.07.2025 को टैम्पो से ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर जान से मारने की नियत घसीटकर ले जाने वाला 01 अभियुक्त दीपांशु पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार नि0 सैक्टर-31 गांव निठारी थाना सैक्टर-20 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 20 वर्ष को सब्जी मंडी गेट नं0-1 के पास थाना लिंकरोड़ क्षेत्रान्तर्गत से गिरफ्तार कर कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन (मालवाहक टैम्पो) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त दीपाशु के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त दीपांशु से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त दीपांशु के पास लाइसेन्स व टैम्पो के कागज नही थे। जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी में मालवाहक टैम्पों चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया गया तो अभियुक्त रुकने की वजाय ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर जान से मारने की नियत से टैम्पो (मालवाहक टैम्पो) चढा दिया। जिससे ट्रैफिक पुलिसकर्मी घायल हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दीपांशु पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार नि0 सैक्टर-31 गांव निठारी थाना सैक्टर-20 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- घटना में प्रयुक्त वाहन (मालवाहक टैम्पो) बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त दीपांशु के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u> थाना लिंकरोड पुलिस व ट्रैफिक पुलिस टीम।